जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय:— प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण की स्थाई वसीयता सूची में अतिरिक्त पात्र लाभाधिकारों की पहचान कर शामिल किये जाने के काम।

प्रसंग:— ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र No. J-11060/16/2017-RH-(M&T) dated 24.01.18

प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण (PMA Y-G) के कियाचयन का फैलबूक में ऐसे लाभाधिकारों जो योजना की पात्रता हेतु भागभाग पूरा करते हों, स्थाई वसीयता सूची में जोड़े जाने का प्रारंभ भी है।

उपरोक्त के समबन्ध में ग्रामीण विकास भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रासंगिक पत्र संलग्न के द्वारा उक्त कार्य सम्मान में समान मापदंड की पालना बाबत निम्नानुसार प्रकाशित किए हैं:—

1. राज्य द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के अन्तर्गत पात्र परिवारों (Households) की पहचान किये जाने में निम्न प्रक्रिया की सुनिश्चितता की जायेगी।

a) SECC-2011 के आंकड़ों के अनुसार परिवार आवासाधीन, 0, 1 या 2 रूप कच्ची दीवार या कच्ची छत के आवास का धारी होना चाहिए।

b) परिवार की पात्रता निर्धारण हेतु कियाचयन का फैलबूक के अनुसार-1 में वर्णित स्वत: बहिर्वेत्र इस्तेमाल हेतु निर्धारित 13 पैरामीटरों में से किसी एक को भी पूरा करने वाला परिवार शामिल नहीं किया जायेगा अर्थात् ऐसे परिवारों को वसीयता सूची में शामिल होने तथा पात्रता नहीं रखना होगा। निर्धारित 13 पैरामीटर निम्नानुसार हैं:—

1. मोटरपुलक दोपहिया/टिपहिया/चीपहिया वाहन/मच्छी पकड़ने का नाव।
2. मसूरी टिपहिया/चीपहिया कृषि उपकरण।
3. 50,000 रु. अधिक रूप से अधिक धन छीनने वाले किसान कंडीट कार्ड।
4. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
5. सरकार द्वारा भति अथवा बूंदी कुशी में वाले परिवार।
6. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 10,000 रु. से अधिक प्रति माह कम माह रहा हो।
7. आयकर देने वाले परिवार।
8. व्यवसाय कर देने वाले परिवार।
9. वे परिवार, जिनका पास रेफ्रिजरेटर हो।
10. वे परिवार, जिनको पास लैड कागज फोन हो।
11. वे परिवार, जिनका पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिलिस्ट्र भूमि हो और कम से कम एक सिलिस्ट्र उपकरण हो।
12. वे परिवार, जिनका पास 6.5 एकड़ या इससे अधिक सिलिस्ट्र भूमि हो और कम से कम एक सिलिस्ट्र का उपकरण हो।
13. वे परिवार, जिनका पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक सिलिस्ट्र भूमि हो और कम से कम एक सिलिस्ट्र का उपकरण हो।

उक्त आंक द्वारा स्वत: अन्तर्वेत्र के लिए निर्धारित 5 मापदंडप्राप्त परिवार को अन्तर्वेत्र रूप से जोड़ा जायेगा:—

1. अधिवासवैसल परिवार।
2. वृक्षारोपण कर जीवन जीतने वाले।
3. हाथ से मैला देने वाले।
4. आईडिया नामक समूह।
5. अधिवासिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुओं मजदूर।
स) धारा/बांट/प्लाटिक व आड़ से निर्मित केंद्री के छत को कच्ची छत एवं इन्हीं सामग्रियों व मद/बिना पकी ईंट, लकड़ी व पत्थर जिसमें मोटर काम में नहीं लिया गया हो, को कच्चा आवास माना जायें।

d) ग्राम समा द्वारा अपने प्रस्ताव/निर्णय में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जायें कि ग्राम समा द्वारा उक्त सभी विनियों की जॉच के आधार पर जॉच कर इन व्यक्तियों को पात्र माना जाता है एवं ग्राम समा कार्यवाही विवरण में परिवार के मुखिया का नाम जिसको आवास आवातन किया जाना है, का अंकन किया जायें।

y) नाम जोड़ने हेतु दाया प्रस्तुत करने वाले परिवार का नाम सिस्टम जनरेटर सूची में है एवं ग्राम समा द्वारा हेतु दिया गया है अथवा परिवार का नाम सिस्टम जनरेटर सूची में नहीं है। उक्त दोनों परिस्थितियों में परिवार का नाम शामिल करने हेतु यथोर्चित कार्य के साथ ग्रामसमा कार्यवाही विवरण में अंकित किया जायें।

r) ग्राम समा द्वारा किये गए प्रस्तावों की सूची ग्रामसमा प्राधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा अभिकृत किया गया है, को प्रस्ताव मिलायें जायें। सक्षम प्राधिकारी द्वारा ग्रामसमा से प्राप्त सूची और सीधे ही प्राविक आवेदनों की जांच कर अपीलेट कमेटी को प्रस्तुत कर जायें।

l) अपीलेट कमेटी द्वारा उक्त सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त सिरोटों के आधार पर विचित्र पात्र लाभाधिकारियों के नाम अतिरिक्त सूची में शामिल किये जाने हेतु अनुशंसा की जायें।

2. राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रक्रिया से जोड़े जाने वाले प्राधिकारियों के कम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है, का प्रमाण पत्र ग्रामसमा विकास मंत्रालय, भारत सरकार को किया जाना है।

3. प्रथमतत्त्वीय आवास योजना-ग्रामसमा योजनानुसार वर्तमान निवास एवं लाभाधिकारी द्वारा पक्के मकान के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल हेतु वर्तमान निवास/अन्य स्वामित्व भूमि की जीओ टैग फोटो अपलोड किये जाने का प्रश्नावली है। इस हेतु ग्रामसमा विकास मंत्रालय द्वारा मोबाइल एलेक्सेन्स एन.आई-सी. के सहयोग से तैयार की जा रही है। इस हेतु मंत्रालय द्वारा आवाससॉफ्ट पर जीओ कंप्यूटर, ग्रामसमा कार्यवाही विवरण अपलोड करने हेतु अलग से मोबाइल तैयार किया जा रहा है, उनमें निम्न सूचियाँ उपलब्ध होंगी —

A. जीओ टैग फोटो लेने समय एलेक्सेन्स में लाभाधिकारी के वर्तमान आवास की छत व दीवारों में उपयोग की गई सामग्री का विवरण दर्ज करने का प्रक्रिया होगा। उपलब्ध प्रक्रिया मार्गदर्शिका में वर्णित छत व दीवार की सामग्री जो कि कच्चे आवास हेतु मायबिंद किये गये हैं, उपलब्ध होंगे।

B. जीओ टैग फोटो केंद्रित के साथ ही योजना के लाभ हेतु 13 मापदंडों, 5 खण्ड: शामिल/अनेकों शामिल मापदंड एवं 5 डिपार्टिंग मापदंडों को दर्ज करने की सुविधा होगी।

S. मोबाइल एलेक्सेन्स के उपयोग से लिये पाने जीओ टैग फोटो को आवाससॉफ्ट के मॉड्यूल में ग्राम पंचायत करार करने की सुविधा होगी।

D. आवाससॉफ्ट मॉड्यूल में ग्रामसमा कार्यवाही विवरण के लिए आवेदन को पहचान कर जोड़े जाने के कारण दायर कर विवरण अपलोड किये जाने का प्रक्रिया सीमित होगा।

4. ग्रामसमा विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त कार्यवाही उपस्थित अपलोड निर्देश एकलेक्ट्रॉनिक सत्यापन, स्पेस लक्षीकृत दायरा करायें। उक्त के साथ ही मंत्रालय द्वारा भौतिक सत्यापन भी करायें जाएगा, जिसमें कच्चे मकान होने का सत्यापन सेक-2011 में वर्णित कच्चे मकान की परिस्थिति की सामग्री का छत व दीवार में उपयोग की गई है, के आधार, ग्रामसमा का निर्णय, सक्षम अधिकारी द्वारा जांच सिरोटों व इस्कुच लाभाधिकारी द्वारा प्राधिकारियों का पत्र या अन्य कोई अपीलेट प्राधिकारी की अनुशंसा का आधार बनायें।

5. उक्त वर्णित समस्त प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त प्रत्येक राज्य हेतु नये जोड़े जाने वाले नामों
की संख्या का निर्णय लिया जायेगा, जिसके उपरान्त मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी से नये
जोड़े गये नामों को सहायता प्रदान किये जाने का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

उपरोक्त के परिपेक्षे में निर्देश है कि सभी जिले प्रशासन मंडल आवास योजना—ग्रामीण के अंतर्गत
निर्धारित मापदंडों को पूर्ण करने वाले परिवारों की पहचान व जोड़े जाने की उक्त वर्णित प्रक्रिया की
शत-प्रतिशत पालना करवाने हुए दिनांक 28.02.2018 तक पूर्ण कर राज्य को सूची प्रेषित करें, जिससे
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को राज्य स्तर से सक्षम परीक्षण/अनुमोदन उपरान्त 31.03.
2018 तक सूची प्रेषित की जा सके। उल्लेखनीय है कि सुलभ संदर्भ हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय से
प्राप्त अंग्रेजी भाषा का पत्र संलग्न है।

(सूचना सेटी) 9.2.2018
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावली हेतु :-

1. निजी सहायक, प्रमुख सचिव, मान्यत ग्रामीण मंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक मानत ब्रह्मेश मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक मानत राजस्थान मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, संचालक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (प्र.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय, राजस्थान।
10. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/ महात्मा गांधी नरेगा।
12. निजी सचिव, आयुक्त, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राजस्थान।
13. निदेशक (प्र.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
14. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने वाला।
15. मुख्य कार्यालयी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
16. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, राजस्थान।

(दीपक अहिंसा अभियन)
J-11060/16/2017-RH(M&I)
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 24th January 2018

To
The Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries
Department of Rural Development,
All State Governments / UT Administrations

Subject: Identification of additional beneficiaries for inclusion in the
Permanent Wait List of PMAY-G – Procedure to be adopted – Reg.

Sir / Madam,

You are aware that the Framework for Implementation of PMAY-G provides
for identification of households who though eligible for assistance under PMAY-G
as per the specified parameters have not been included in the Permanent Wait List.
Further, Ministry of Rural Development has also issued an advisory to all the States /
UT's vide letter No. J-11012/02/2016-RH, dated 6th July, 2017 to identify such left
out households and upload the identified households on AwaasSoft. Accordingly,
various State Governments have initiated the process of identification of households
who though eligible have not been included in the PWL of PMAY-G and also
uploaded the details on AwaasSoft.

2. In this connection, it is stated that in order to ensure a uniform criteria for
identification of such households is followed all through out the country, the
following procedure has been prescribed :-

I. States / UT to ensure the following while identification of the eligible
   households under PMAY G
   a. The households should either be houseless or living in zero, one and two room
      house with kutchha wall and kutchha roof as per SECC data.
   b. The identified households should not fulfil any one of the 13 exclusion
      parameters specified in SECC-2011 and mentioned in Annexure-1 of the IT.
   c. The definition of kutchha roof would mean "Roof made of Grass/Thatch/Bamboo etc.,
      plastic / polythene, and hand made tiles) and kutchha wall would mean "Wall made of Grass/Thatch/Bamboo etc., plastic /
polythene, mud / unburnt brick, wood and Stone not packed with mortar) as given in the SECC-2011 data for identification of the kucha house.

d. The identification of such households should be done by the Gram Sabha and the resolution of the Gram Sabha should clearly state that the households are identified after taking into account the above parameters. The Gram Sabha resolution should also mention the names of the head of the household to whom the house is to be allotted.

e. The Claimant household could be a household whose name had appeared in the System generated list and was deleted by the Gram Sabha, or the household's name was not present in the system generated list. In both cases, adequate reasons for inclusion of the household needs to be recorded by the Gram Sabha.

f. The list of households identified by Gram Sabha need to be submitted to the Competent Authority, notified by the State / UT Government for the purpose. The Competent Authority shall enquire into the list submitted by Gram Sabha and also applications received directly by such Authority and submit a report to the Appellate Authority, notified by respective State / UTs for the purpose.

g. The Appellate Authority, based on the report of the Competent Authority, shall recommend the names of the left out beneficiaries who are found eligible for inclusion in the additional list.

II. A certificate detailing all the above process needs to be furnished by all the States / UTs that the identification of the beneficiaries has been done after following the above process.

III. Since capture of geo-tagged photograph of the house in which the beneficiary is currently residing, is mandatory under PMAY-G, the present dwelling/land of the households identified for inclusion in PWL also need to be geo-tagged. For this, a separate mobile application is being developed by the Ministry of Rural Development with the help of NIC. A separate module shall also be developed in Awaassoft to facilitate geo-tagging, uploading of Gram Sabha resolutions, etc. by States /UTs. The features of the mobile application and the module in AwaasSoft would be as follows:

a. The mobile application would have an incorporated feature wherein while capturing the photograph of the existing house would mandatorily ask to tick the pre-dominant material used for roof and wall. The option of the material will only be those identified as kucha material as per SECC data.

b. Further while capturing the geo-tagged photograph, the mobile application would have the feature to capture the 13 automatic exclusion parameters, 5
automatic inclusion / compulsory inclusion criteria and 5 deprivation parameters

c. A module which is being developed in AwaasSoft wherein the go-tagged photographs captured using the mobile application are stored would have a provision of storing GP wise photographs.

d. The AwaasSoft module would also have a provision for uploading of Gram Sabha Resolution indicating about identification of left out households after following due procedure and also having the list of heads of such households.

IV. Once all the above process is completed, Ministry of Rural Development would conduct electronic verification of the photographs of the houses uploaded viz., through space technology. Further, Ministry of Rural Development would undertake physical verification on sample basis of the houses uploaded on AwaasSoft. The physical verification involves the aspects whether the existing house is kutch (both wall and roof are made of kutch material specified in SECC), Gram Sabha resolution, report by the competent authority after due enquiry, applications submitted by individuals if any, recommendation of the appellate authority.

V. After all the above mentioned process have been completed, a decision would be taken about the number of households (over and above the SECC based list) that can be provided assistance under PMAY-G State/UT-wise. Thereafter approval of the Competent Authority for providing assistance to such households under PMAY-G would be sought.

3. In view of the above, it is requested that all the States / UTs may adopt the above prescribed procedure while identification of the beneficiaries who though eligible for assistance under PMAY-G as per the specified parameters have not been included in the Permanent Wait List. This exercise may be completed by 31st March, 2018.

Yours faithfully,

(Gaya Prasad)
Director (RH)
Tel: 011-23388431
Email: gaya.prasad@nic.in

Copy to: NIC, MoRD for information and necessary action.